Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
*Uttarakhand Power Corporation Ltd.*
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora -- 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

**परिवाद संख्या 301 / 2026**

श्री दिनेश चंद,
बी.एस.एन.एल कॉलोनी,
रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आर एन 11151059162 के सापेक्ष नवबंर 2025 तक उनके द्वारा लगातार बिलो का भुगतान किया गया था लेकिन विभाग से उन्हे दिसंबर 2025 में रू0 86622 और जनवरी 2026 में अपडेटिट बिल रू0 91493 प्राप्त हुआ है जिसके लिए उन्होने विभाग में संशोधन के लिए निवेदन किया था। उन्होने बताया कि संशोधन करने के बजाय विभाग ने 23.02.2026 को उनका संयोजन काट दिया था जिसे .दवाब में 10,000 रू0 जमा करने के पश्चात् दुबारा जोड़ा गया। उन्होने बिल में संशोधन के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1182 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री देवेन्द्र पाठक, प्रशासनिक अधिकारी, जी. आई सी मचखाली उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्होने हमेशा बिलों का नियमित भुगतान किया है लेकिन जनवरी 2026 में एकाएक रू0 91493 का बिल प्राप्त हुआ था जिसके कारण 23.03.2026 को उनका संयोजन काट दिया गया जिसको 10,000 रू0 जमा करने के प्श्चात् जोड़ा गया।
विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी से फोन पर बात की गयी। विभाग का कहना था कि यह प्रकरण आर.डी.एफ से संबंधित था जिसमें संशोधन करते हुए वादी का बिल रू0 91493 से संशोधित होकर लगभग 30,000 का बना था जिसमें से वादी ने दो बार में रू0 20,000 जमा करा दिये थे। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले उपरोक्त पर विस्तृत आख्या भेजना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्री जगदीश चंद्र, वादी के भाई तथा विभाग की तरफ से श्री राजेन्द्र बेलवाल एस.डी.ओ उपस्थित हुए। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल विगत में 200 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से निर्गत किये गये थे लेकिन नवबंर 2025 में 11987 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जो कि या तो डंप रीडिंग का है या जंप रीडिंग का प्रतीत होता है।

31-07-26

31/7/2026

विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें तथा अगली सुनवायी तिथि दिनांक 28.05.2026 तक वादी की बिजली ना काटी जाए।

4 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 तथा 07.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ ने बताया कि मीटर की एम.आर.आई प्रकियाधीन है और जल्द ही आख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ ने बताया कि वादी के बिल पहले आर.डी.एफ पर निर्गत किये गये थे जिसको संशोधित कर रीडिंग आधारित बिल निर्गत किया गया। उन्होने यह भी बताया कि वादी का मीटर पुराना होने के कारण एम.आर.आई करना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होने बताया कि रीडिंग को डंप मानते हुए, डंप रीडिंग को मीटर लगने की तिथि से अद्यतन् वितरित करते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ/स्लैब का लाभ देते हुए नेट बिल रू0 30571 का संशोधित हुआ था जिसमें से वादी ने रू0 25000 जमा करा दिये हैं। वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9412314743 पर सुनवायी की गयी। उन्होने बताया कि उन्होने बिजली का वास्तविक बिल पूर्ण रूप से जमा कर दिया है लेकिन आर.डी.एफ के बिल में ए.एस.डी के रूप में रू0 4988 लगा हुआ है जिसे विभाग द्वारा हटाया जाए क्योकि आर.डी.एफ का गलत बिल संशोधित हो चुका है।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के बिल में लगाये गये ए.एस.डी रू0 4988 को हटा कर संशोधित बिल, वादी को लिखित पत्र के साथ संग्लन करते हुए 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं।
विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करें।

**आदेश**

इस प्रकरण में वादी के बिल पहले आर.डी.एफ पर निर्गत किये गये थे जिसको संशोधित कर रीडिंग आधारित बिल निर्गत किया गया। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि वादी का मीटर पुराना होने के कारण एम.आर.आई करना संभव नहीं हो पा रही है। विभाग ने बताया कि रीडिंग को डंप मानते हुए, डंप रीडिंग को मीटर लगने की तिथि से अद्यतन् वितरित करते हुए तथा तत्कालीन टैरिफ/स्लैब का लाभ देते हुए नेट बिल रू0 30571 का संशोधित हुआ था जिसमें से वादी ने रू0 25000 जमा करा दिये हैं। वादी ने बताया कि उन्होने बिजली का वास्तविक बिल पूर्ण रूप से जमा कर दिया है लेकिन आर.डी.एफ के बिल में ए.एस.डी के रूप में रू0 4988 लगा हुआ है जिसे विभाग द्वारा हटाया जाए क्योकि आर.डी.एफ का गलत बिल संशोधित हो चुका है।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के बिल में लगाये गये ए.एस.डी रू0 4988 को हटा कर संशोधित बिल, वादी को लिखित पत्र के साथ संग्लन करते हुए, 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं।
विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 31.07.2026**

31.07.26

**बी0 एस0 बिष्ट**
**उपभोक्ता सदस्य**

31/7/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

**कु0 निर्मला तिवारी**
**न्यायिक सदस्य**

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

**परिवाद संख्या 307 / 2026**

श्री कृपाल राम,
ग्राम– बसर, पो0ऑ0– दरमाण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर1 6411801239 के सापेक्ष दिनांक 21.08.2025 को 1260 रू0 का भुगतान किया गया था लेकिन 17.02.2026 को रू0 20228 का बिल प्राप्त हुआ है जबकि उनके घर में दो बल्ब शाम को जलते है। उन्होने बिल में संशोधन के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1189 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री कृपाल राम मय् श्री महेश चन्द्र तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके बिल विगत में रू0 200 से अधिक नहीं आये है लेकिन 17.02.2026 को रू0 20228 का बिल प्राप्त हुआ है। वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री देखने से ज्ञात होता है कि संयोजन तिथि 30.11.2018 से अगस्त 2025 तक, कुछ महिनो को छोड़कर, वादी के बिल कभी भी 200 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं आये है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी के परिसर का स्थलिय निरीक्षण कर, कुल विद्युत भार के साथ, अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें। वादी द्वारा अगस्त 2025 में 1260 रू0 का बिल जमा किया है जिसके लिए वादी को कहा गया था कि वह लम्सम् 2000 रू0 जमा कराएं ताकि परिसर में विभाग द्वारा विद्युत बहाली की जा सकें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026, 28.05.2026 तथा 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर तथा श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर के स्थलीय निरीक्षण में कुल विद्युत भार 0.109 किजोवाट पाया गया। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया है जिससे मेन मीटर की सत्यता की जांच हों सके। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मंच की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 से पहले चेक मीटर की रिपोर्ट के साथ आख्या भेजनी सुनिश्चित करें।

31/07/26 31/7/2026

4 .मंच की सुनवाई तिथि 07.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 16.66 प्रतिशत धीमा पाया गया। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि दिनांक 31.07.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 16.66 प्रतिशत धीमा पाया गया। वादी का पक्ष जानने के लिए आज की सुनवायी नियत की गयी थी जिसमें भी वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाग की पॉलिसी के अनुसार बिल में संशोधन कर वादी को 15 दिन के अंदर संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह चेक मीटर की टेंस्टिग में धीमा पाये गये मेन मीटर को 10 दिन के अंदर बदल दें अगर यह अभी तक बदला नहीं गया है

## आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 16.66 प्रतिशत धीमा पाया गया। वादी का पक्ष जानने के लिए दिनांक 07.07.2026 तथा दिनांक 31.07.2026 सुनवायी के लिए नियत की गयीं थीं जिनमें वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाग की पॉलिसी के अनुसार, बिल में संशोधन कर वादी को, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह चेक मीटर की टेंस्टिग में धीमा पाये गये मेन मीटर को 10 दिन के अंदर बदल दें अगर यह अभी तक बदला नहीं गया है

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

31-07-26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

**परिवाद संख्या 312/2026**

श्री पान सिंह नेगी,
ग्राम– भनर गांव, पो0ऑ0– हवालबाग,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर11227002143 के सापेक्ष मई 2025 तक सही रीडिंग के बिल आ रहे थे लेकिन जून 2025 में जंप रीडिंग 800 यूनिट का बिल प्राप्त हुआ। विभाग के कहने प उनके यहां चेक मीटर लगाया गया था और इसके बाद पुराने मीटर को लैब में लाया गया। उन्होने बताया कि अधिशासी अभियंता के कहने से उन्होने जून 2025 से मई 2026 तक पूरा पैसा जमा करा दिया जिसकी उनको कोई रसीद नहीं दी गयी। उन्होने प्रकरण में जांच कर अधिक जमा किया गया पैसा वापिस करने के लिस अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1218 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह नगरकोटी, वादी के भाई तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के अनुरोध पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रतिक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर चेक मीटर की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 28.05.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 28.05.2026 में वादी की तरफ से श्री रमेश सिंह नेगी, वादी के पुत्र उपस्थित हुए। ईद का अवकाश होने के कारण विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग ने अपने पंत्राक 169 दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से बताया था कि वादी के परिसर पर चेक मीटर स्थापित हो चुका है। वादी का कहना था कि मई 2025 तक उनके बिल ठीक प्राप्त हुए लेकिन जून 2025 में रीडिंग 800 यूनिट जंप हो गयी। उन्होने बताया कि उनके द्वारा 100 रू0 जमा कराने के प्श्चात् जुन 2025 में ही चेक मीटर लगा दिया गया था और जून–जूलाई 2025 में उनका मेन मीटर उतार दिया गया जबकि चेक मीटर लगा रहा। एक वर्ष से ज्यादा समय होने के बावजूद भी विभाग द्वारा उपरोक्त पर निर्णय नहीं लिया जाना बड़ा निराशावादी विषय है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर उतारे गये मीटर की एम.आर.आई कराकर चेक मीटर तथा मेन मीटर की तुलनात्मक जांच कर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

31-07-26 31/7/26

4 .मंच की सुनवाई तिथि 17.06.2026 तथा 07.07.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग ने यह भी बताया था कि वादी के पुराने मीटर की एमआरआई0 की गयी थी जिसके अनुसार मापक दूषित पाया गया और बदल दिया गया वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि दिनांक 31.07.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से श्री रमेश सिंह नेगी, वादी के पुत्र उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ ने बताया कि उतारे गये मीटर की एमआरआई0 की गयी थी जिसमें मीटर खराब पाया गया जिसको बदल दिया गया है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर के आधार पर 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत पर पिछली मीटर खराब अवधि का निर्धारण कर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

## आदेश

विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था तत्पश्चात् मंच के निर्देशानुसार मेन मीटर की एमआरआई0 की गयी थी जिसमें मीटर खराब पाया गया जिसको बदल दिया गया है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर के आधार पर, 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत पर पिछली मीटर खराब अवधि का निर्धारण कर, 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 31.07.2026**

31-7-26

**बी0 एस0 बिष्ट**
**उपभोक्ता सदस्य**

**ओ0पी0 दीक्षित**
**तकनीकी सदस्य**

**कु0 निर्मला तिवारी**
**न्यायिक सदस्य**

**Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum**
***Uttarakhand Power Corporation Ltd.***
**Electricity Testing Laboratory Campus**
**Syalidhar, Almora – 263601**
**E-mail - cgrfalmora@gmail.com**

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

**परिवाद संख्या 321 / 2026**

श्री बिपिन चंद्र तिवारी , वादी
इंडस टॉवर लि0,
नौलाकोट, बग्वालीपोखर,
रानीखेत,जिला– अल्मोड़ा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 42500548562 के सापेक्ष मार्च 2026 की बिलिंग में रू0 2593 राशि की, लो पॉवर फैक्टर पैनल्टी लगायी गयी है जो कि गलत है क्योकि उनके परिसर में कोई मोटिव लोड नहीं है। उन्होने उपरोक्त पैनल्टी को हटाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1272 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि वादी के मार्च 2026 के बिल में लगे हुए सरचार्ज का परिक्षण किया जा रहा है जिसमें 15 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से काई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर विस्तृत आख्या भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से काई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि वादी के टॉवर की परिसर अधिकतर बंद मिलती है जिस वजह से प्रांय मीटर रीडिंग लेते वक्त ये गलती हो जाती है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी।

31.07.26 31/07/2026

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मार्च 2026 की बिलिंग में 2593 रू0 का लो पॉवर फैक्टर का सरचार्ज हटाकर संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## आदेश

यह प्रकरण वादी के बिल में, मार्च 2026 की बिलिंग में लगायी गयी राशि रू0 2593 की लो पॉवर फैक्टर पैनल्टी हटाने से संबंधित है जिसे विभाग द्वारा गलती से लगा दिया गया है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह मार्च 2026 की बिलिंग में 2593 रू0 का लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज हटाकर संशोधित बिल वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 31.07.2026

31.07.26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
*Uttarakhand Power Corporation Ltd.*
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

**परिवाद संख्या 323/2026**

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,
कनेर द्वाराहाट,
रानीखेत,जिला– अल्मोड़ा।

वादी

**बनाम**

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40112374071 के सापेक्ष मार्च 2026 की बिलिंग में 50381 यूनिट का बिल रू0 449833 का प्राप्त हुआ है जो कि 23 किलोवाट विद्युत भार के लिए 07 महिने की अवधि का संभव नहीं है। उन्होने अधिक जमा की गयी राशि को वापिस करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1274 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि मीटर की एमआरआई0 कर ली गयी है जिसके अनुसार यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबधित है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 07.07.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 07.07.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से काई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर विस्तृत आख्या भेजना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 31.07.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 31.07.2026 में वादी की तरफ से काई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी ने बताया कि वादी का संयोजन वाणिज्यक श्रेणी का है जिसमें डंप रीडिंग को, डंप अवधि में वितरित कर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 पर सुनवायी की गयी। वादी ने बताया कि उनकी 50831 यूनिट के डंप बिल में 15453.80 का एल.पी.एस.सी सम्मलित है तथा इसके बाद लगभग 5000 रू0 का और लगाया गया है। उन्होने दोनों सरचार्ज को हटाने के लिए अनुरोध किया है जिससे विभाग भी सहमत है।

31-07-26

31/07/2026

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, यदि को हो, तथा एल.पी.एस.सी रहित बिल 15 दिन के अंदर संशोधित कर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## आदेश

विभाग द्वारा मीटर की एमआरआई0 की गयी जिसके आधार पर विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का मार्च 2026 में, 50831 यूनिट का निर्गत रू0 449833 का बिल डंप रीडिंग से संबंधित है।
वादी द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त 50831 यूनिट के डंप बिल में 15453.80 का एल.पी.एस.सी सम्मलित है तथा इसके बाद लगभग 5000 रू0 का और लगाया गया है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए, यदि को हो, तथा एल.पी.एस.सी रहित संशोधित बिल, 15 दिन के अंदर वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक – 31.07.2026**

31-07-26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

31/7/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य